

124/2024

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर से जरिये पत्रांक 655 दिनांक 13.07.2023 के प्राप्त हुई। अपीलांट न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण जरिये राजीनामा विज्ञो के पुनः लोटा दिया गया है।

चूंकि मूल वाद में पक्षकारान के मध्य गांव के मौजिज व्यक्तियों एवं आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है तथा लोकहित की भावना को दृष्टिगत रखते हुए मूल वाद जरिये विज्ञो नेस्तारित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में इस आवेदन को आगे लाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः मूल वाद की तर्ज पर इस आवेदन को इसी स्तर पर रिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर एवं नम्बर से हो।


राजस्व अपील प्राधिकारी
500 सियारी